फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
भगाराम उर्फ भगवानराम पुत्र मोटारामजी जाति जाट
निवासी सोनारावाला बेरा, सेवाडी तहसील बाली
जिला पाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादीगण
बाबुलाल पुत्र मोटारामजी जाति जाट
निवासी सोनारावाला बेरा, सेवाडी तहसील
बाली जिला पाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद प्रकरण GCMS No. 2023/
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12/09/23	वकील वादीगण श्री प्रदीप चौधरी उपस्थित। वादीगण वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 13-09-23 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	513 / 12-9-23
13/09/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रतिवादी सं. 1 को सम्मन बाद तामील प्राप्त। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित। उसने जाहिर किया कि उसको सम्मन कल ही मिला है तथा वकील करने हेतु समय चाहता है। पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 17-10-23 को पेश हो। SDO	बाबुलाल
17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वादीगण सर्वश्री भगाराम, भवरी, मंजु, रजी बाई स्वयं भी व्यक्तिश: उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं. 1 बाबुलाल भी उपस्थित। वादीगण व उनके अधिवक्ता ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो जाने से जरिये विड्रॉल प्रार्थना पत्र उक्त वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। चूंकि वादीगण व उनके अधिवक्ता वाद को चलाना नहीं चाहते हैं अत: वाद वादीगण O-23, R-1 CPC के प्रोविजो अनुसार जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हेकर नम्बर से कम हो। SDO उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.	बा.अं.नि. मन्जु अं.नि. भगाराम अं.नि. रजी बाई अं.नि. भवरी Identified by Adv. for Plaintiffs बाबुलाल (प्रतिवादी सं.1)